कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-05/2016-17/

दिनांक : /07/2016

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत, धारचूला

जिला- पिथौरागढ़

विषय : क्षेत्र पंचायत धारचूला का वर्ष 2013-14 से वर्ष 2014-15 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग -4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **दो** प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 05/2015-16/ दिनांक: /07/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

4 -जिला पंचायतराज अधिकारी, पिथौरागढ़

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2014-15 के लिये क्षेत्र पंचायत धारचूला (पिथौरागढ़) पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्री के.एस. रावत - खण्ड़ विकास अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम (i) श्री एस.के. त्यागी व.ले.प.अ.
(ii) श्री पी.एल. शर्मा, स.ले.प.अ.
(iii) श्री मनोहर सिंह ले.प.

(स) संप्रेक्षा तिथि 02.05.2016 से 7.05.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 2014-15 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **ख.वि.अ. क्षे.पं. धारचूला,** जनपद **पिथौरागढ़**

(अ) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो:-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः- 117

भौगोलिक क्षेत्र :-- 21626 हेक्टेयर

जनसंख्या : 58650

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 40

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 03

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या:- बैठक: 06

5- कर्मचारियों की संख्या : 35

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : - 08

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :- संलग्न है।

9- (अ) सामाजिक संरक्षा

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -कम्प्यूटर प्रशिक्षण

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:-

10- (द) लाभार्थियों की संख्या: संलग्न है।

11- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : शून्य

12- वर्ष के दौरान कुल व्यय : प्रस्तुत

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

13- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है-

भाग-3

लेखो पर टिप्पणीः-

1. लेखो का रख-रखाव भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में नहीं किया जा रहा है।
2. कुछ मदों पर 50% से कम की धनराशि का उपयोग विभाग द्वारा किया गया है।
3. वर्ष 2015-16 के अन्त में एक बड़ी धनराशि ` 3,01,56,471.86 अवशेष थी। जिससे प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा कार्यों को समय से पूरा कराने अथवा योजनाओं को समय से पूरा कराने हेतु सार्थक प्रयास नहीं किए गए है। तथा बजट का निर्धारण/योजनाओं का आंकलन/आगणन त्रुटिपूर्ण किया गया है।

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **ख.वि.अ., क्षेत्र पंचायत धारचूला, जनपद- पिथौरागढ़** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री एस.के त्यागी, व.ले.प.अ. के आंशिक पर्यवेक्षण मे श्री पी.एल.शर्मा, स.ले.प.अ. एवं श्री मनोहर सिंह ले.प. द्वारा दिनांक 02.05.2016 से 07.05.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

शून्य

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर**	**प्रस्तर**
(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर	**भाग 4 (ब)-1**	**भाग 4 (ब)-2**

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग** **प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर	--
(ग) सतत अनियमितताओं की सूची	--
(घ) अप्रस्तुत अभिलेख	--

भाग-4(ब)-2

प्रस्तर 1:- ब्याज से अर्जित धनराशि ` 12.61 लाख को राजकोष में जमा न करना।

उत्तराखण्ड़ शासन के पत्र सं. 347/बी.आ.निदे. (तृ.रा.वि.आ./2013 दिंनाक 01.04.2013 के अनुसार ग्राम पंचायत संस्थानों जैसे क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायतों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि जैसे राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, क्षेत्र विकास निधि, सांसद निधि, विधायक निधि आदि को धनराशि जो लम्बे समय तक व्यय न हो पाने के कारण बैकों में जमा रहती है तथा जिस पर बैंक से ब्याज अर्जित होता है। उस अर्जित ब्याज की धनराशि को अविलम्ब राजकोष में लेखाशीर्षक 0049 ब्याज प्राप्तियों मे जमा कराया जाना चाहिए।

क्षेत्र पंचायत को प्राप्त विभिन्न मदों जैसे विधायक निधि, सासंद निधि, राज्य वित्त क्षेत्र पंचायत निधि आदि से सम्बन्धित वर्ष 2014-15 व 2015-16 के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अर्जित ब्याज को धनराशि ` 12,61,115 राजकोष में जमा नहीं की गई है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि ब्याज की समस्त धनराशि शीघ्र ही जमा कर दी जाएगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि शासन द्वारा निर्गत आदेशों का पालन करना अनिवार्य है तथा किसी प्रकार की लापरवाही नियमो का उल्लघंन है।

अतः अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा न करने से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-4(ब)-2

प्रस्तर 2:- विभिन्न मदों में ` 128.24 लाख व्यय होने के उपरान्त भी 40 कार्यों का अपूर्ण रहना।

क्षेत्र पंचायत की अनुदान पंजिका एंव अन्य सम्बन्धित लेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्धारा विभिन्न मदों से प्राप्त धनराशि से कराए गए निर्माण कार्यों में वर्ष 2014-15 में 37 कार्य तथा वर्ष 2016-17 में 95 कार्य अपूर्ण थे(मई 2016 तक)।

वर्ष 2014-15 के निर्माण कार्यों की जाँच में पाया गया कि विभाग को 40 कार्यों हेतु ` 246.51 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर कार्य प्रारम्भ कर ` 128.24 लाख का व्यय भी किया गया तथा कार्य अपूर्ण रहने के कारण ` 118.27 लाख की धनराशि विभाग के पास अवरुद्ध पड़ी थी।

वर्ष 2015-16 में विधायक निधि एवं क्षेत्र पंचायत विकास निधि मद से कराये जाने हेतु क्रमशः आठ और 87 कुल 95 कार्य स्वीकृत किये गये थे जिन पर ` 103.51 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी। परन्तु लेखा परीक्षा (मई 2016) तक सभी कार्य अपूर्ण थे।

इस प्रकार दोनों वर्षों में कुल 135 कार्य अपूर्ण थे जिन पर स्वीकृत लागत ` 350.02 लाख के सापेक्ष ` 128.24 लाख धनराशि व्यय की गई थी तथा ` 221.78 लाख की धनराशि अवरुद्ध पड़ी थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि कार्य प्रगति पर है तथा शीघ्र ही पूर्ण कराये जायेगें तथा सम्बन्धित ग्रा.वि.अधि./ठेकेदारों को शीघ्र कार्यपूर्ति हेतु आदेशित किया जाएगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि कार्यों के समय से पूर्ण न होने के कारण कार्ययोजना का उद्धेश्य ही पूरा नहीं होता है तथा स्थानीय जनता को भी उक्त कार्यों से मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ता है।

अतः अपूर्ण कार्यों से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-4(ब)-2

प्रस्तर 3:- 2015-16 के अन्त में एक बड़ी धनराशि असमायोजित रहना।

क्षेत्र पंचायत की बजट/अनुदान पंजिका की जाँच में पाया गया कि विभिन्न योजनाओं हेतु वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में धनराशि उपलब्ध कराई गई थी जिससे विकास कार्यों को सम्पादित किया जाना था तथा विभाग से अपेक्षित था कि सम्बन्धित योजनाओं को वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा करें। जिससे निर्धारित तथ्यों की पूर्ति हो सके तथा क्षेत्र का विकास हो सके। परन्तु विभाग द्वारा पूर्व वर्षों की भांति वर्ष 2015-16 के अन्त कर भी धनराशि का समायोजन नहीं किया गया था जिसके कारण विभाग के पास 31.03.2016 को एक बड़ी धनराशि प्रस्तर 2:- 2,95,08,462 असमायोजित रहने तथा उपयोग न किए जाने के कारण क्षेत्र के विकास कार्य बाधित हो गए थे तथा लक्ष्यों की प्राप्ति भी नहीं हुई थी जिसे पूरा करने हेतु शासन द्वारा समय-समय पर धनराशि आंवटित करते सयय ही आदेशित किया जाता है तथा अनुपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने पर जोर दिया जाता है लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराकर वर्तमान वर्ष में धनराशि का समुचित उपयोग कर दिया जायेगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि लक्ष्यों को पूरा करते हुए प्राप्त धनराशि का समय पर उपयोग किया जाना विभाग का दायित्व बनता है ऐसा न करने से शासन द्वारा निर्गत निर्देशं का भी उल्लघंन होता है तथा धनराशि का समय पर उपयोग न करना वित्तीय नियमों का भी उल्लघंन है।

अतः असमायोजित धनराशि रहने से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>अनुभाग-4-(स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **खंड विकास अधिकारी, क्षे. प. धारचूला** को इस आशय से प्रेषित की गयी है कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरि. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

व.लेखापरीक्षा अधिकारी/ स्थानीय निकाय